



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 26.12.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1- 05 अदद देशी बम के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार, थाना बिलारी:-



अवगत कराना है कि दिनांक 25.12.2024 को उ0नि0 श्री महेश पाल मलिक थाना बिलारी जिला मुरादाबाद मय हमराही पुलिस टीम के साथ अभियुक्त तहसीन पुत्र कलीम नि0ग्रा0 थाँवला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद हाल पता नि0 ग्रा0 ग्वालखेडा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को 05 अदद देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके बिरूद्ध थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 786/2024 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम बनाम तहसीन पुत्र कलीम निवासी ग्राम थाँवला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद हाल पता निवासी ग्राम ग्वालखेडा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद पंजीकृत किया गया। जिसको आज दिनांक 26.12. 2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया ।

2- थाना मझोला पर पंजीकृत पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया ।



अवगत कराना है कि थाना मझोला पर दिनांक 15.12.204 को पंजीकृत मु0अ0स0 1096/24 धारा 137(2)/87/ 69 बीएनएस व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के अभियुक्त अरुण मिश्रा पुत्र अंबिका प्रसाद निवासी मुड़िया खेड़ा आजमाबाद थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहांपुर हाल पता गागन पानी की टंकी के पास थाना मझोला जनपद मुरादाबाद को उ0नि0 अशोक कुमार थाना मझोला,मुरादाबाद मय हमराही पुलिस कर्मी के साथ आज दिनांक 26.12.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया ।

3- जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 04 आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 26.12.2024 को थाना डिलारी पुलिस द्वारा आरोपीगण 1. कर्मवीर सिंह पुत्र रेवत सिंह 2. अमन कुमार पुत्र जगदीश सिंह निवासीगण जलालपुर खालसा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद तथा थाना भोजपुर पुलिस द्वारा आरोपी 1. फैसल पुत्र जुम्मा निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद व थाना कांठ पुलिस द्वारा आरोपी 1. मौ0 सलीम पुत्र यामीन निवासी ग्राम गढी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

